भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 सितंबर, 2019

(2019 का 03)

संख्या 116–6/2017– एनएसएल–II (वॉल्यूम III) ——भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (प), (पपप) तथा (अ) के साथ पठित धारा 36 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद्द्वारा दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

1. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) के विनियम 1 के उप–विनियम (2) को निम्नलिखित उप–विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

   "(2) ये विनियम 11 नवंबर, 2019 से लागू होंगे।"

(एस.के. गुप्ता)

सचिव

एस. के. गुप्ता/S. K. GUPTA
सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
महानगर दूरसंचार भवन/M.D.S. Bhawan
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

टिप्पणी : व्याख्यात्मक ज्ञापन इस अधिसूचना के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के मूल विनियमों के लिए 13 दिसम्बर, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) जारी किया गया था।
2. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं की तैयारियों को देखते हुए, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.06.2019 की अधिसूचना द्वारा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू करने की समयम–सीमा को 13 जून, 2019 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2019 किया गया था।
3. इसके अतिरिक्त, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 के तहत शामिल प्रक्रियाओं की स्वीकृति परीक्षण के कार्य को पूरा करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त समय और तैयारियों के दृष्टिगत, प्राधिकरण ने इन विनियमों को लागू करने की समय–सीमा को 30 सितंबर, 2019 से बढ़ाकर 11 नवंबर, 2019 किया है।
4. अतः, दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) के विनियम 1 के उप–विनियम (2) में संशोधन किया गया है।

एस. के. गुप्ता/S. K. GUPTA
सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
महानगर दूरसंचार भवन/M.D.S. Bhawan
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002